20.1.25

पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान उप.। प्रार्थी के पास अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने से प्रा.पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर खुले न्या. किया गया। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद नं. व तकमील जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय बइजलास श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 6/2022 तारीख दायरा 28.06.2022

उनवान

1. कुलदीप सिंह पुत्र अमर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. सूर्यदीप सिंह पुत्र अमर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
3. प्रमिला बाई पत्नि स्व. अमर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
4. पुष्पकंवर बाई पत्नि स्व.करणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. विष्णु गोचर पुत्र बद्रीलाल जाति गूजर निवास कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. रमेश चन्द्र पुत्र बद्रीलाल जाति गूजर निवास कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
3. रामगोपाल पुत्र बद्रीलाल जाति गूजर निवास कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासी रातडिया तहसील अन्ता जिला बांरा राजस्थान ।
4. परमानन्द पुत्र पुत्र बद्रीलाल जाति गूजर निवास कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा हाल हनुमान बस्ती कोटा तहसील लाडपुरा राजस्थान ।
5. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

– अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर. टी. एक्ट 1955</u>

उपस्थित :–

श्री मोहनलाल पोटर (वकील प्रार्थीगण) दिनांक :–

श्री अब्दुल वहीद अंसारी (वकील अप्रार्थी सं.1 ता 3)

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

—निर्णय—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण के खाते की एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम कमोलर तह0 सांगोद जिला कोटा की संवत 2073 से 2076 की खेवट खतोनी संख्या नई 211 पुरानी 213 की खसरा नं. 1129 की 2.16 हेक्टर आराजी अन्य खसरा नम्बरान के साथ स्थित है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में आवागमन का कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है जिसके कारण प्रार्थीगण की उक्त आराजी पडत रहने की स्थिति में है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के ओर सरकारी रास्ता की भूमि ग्राम कमोलर की खसरा नं. 1220 की 1.75 हेक्टर और खसरा नं. 1155 की 0.25 हेक्टर आराजी जो गैर मुमकिन रास्ता है जिसमें पक्की सडक बनी हुई है जो कमोलर से भूलाहेडा गांव को जाती है, के बीच अप्रार्थी 1 ता 4 के खाते की आराजी माल ग्राम कमोलर पटवार हलका कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा संवत 2073 से 2076 खाता संख्या 422 पुरानी 403 की खसरा नं.1127 की 0.01 हे., खसरा नं.1128 की 2.44 हे. कुल किता 2 की 2.45 हे. आराजी स्थित है। यदि अप्रार्थी 1 ता 4 के खाते की आराजी खसरा नं.1128 की 2.45 हेक्टर आराजी में से 0.02 हेक्टर पूर्वी आराजी रास्ते के रूप में दर्ज कर दी जाती है तो प्रार्थीगण अपनी आराजी में सरकारी रास्ते की खसरा नं. 1155 व 1220 की आराजी के मध्य आवागमन में परेशानी का सामना नहीं करना पडेगा। प्रार्थीगण के खसरा न.1129 ओर 1128 पूर्व में एक ही खाते की आराजी रही है, दोनों आराजी प्रार्थीगण के पूर्वजों की रही है। अप्रार्थी 1 ता 4 प्रार्थीगण को उक्त आराजी में पूर्व की तरह निकलने में परेशान करते हैं। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को कई बार समझाया लेकिन वह समझ नहीं रहे हैं। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को रास्ते की भूमि का डी.एल.सी.दर से प्रतिफल राशि अदा करने को तत्पर हैं किन्तु अप्रार्थीगण 1 ता 4 प्रतिफल की राशि लेकर रास्ते की भूमि को रास्तें के रूप में छोडने को तैयार नहीं है, जिसके कारण माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अब्दुल वहीद अंसारी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर आपत्ति व्यक्त की गई। अप्रार्थी सं.4 बावजूद सूचना न्यायालय हाजा में अनुपस्थित होने के कारण अप्रार्थी सं. 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में स्वयं मेरे द्वारा राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

कार्मिकों के साथ मौका देखा गया जिसके अनुसार प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण की आराजी की पूर्वी दिशा में चाहे गये रास्ते की लम्बाई 174 मीटर है तथा रास्ते के मध्य में टीन शेड एवं चबूतरा बना हुआ है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी की आराजी तक पहूँचने हेतु माल ग्राम कमोलर के ख.न. 1131, 1132, 1134, की पूर्वी मेर तथा ख.न. 1131, 1132, 1134, 1135, 1136 की पश्चिमी मेर से प्रचलित रास्ता मौजूद है। उक्त रास्ता का उपयोग पूर्व में अपनी आराजी तक आने जाने हेतु किया जाता है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की आराजी से अभी भी आवागमन नहीं किया गया है। इसके उपरान्त पत्रावली बहस में नियत की गई। दौराने बहस प्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। अप्रार्थीगण द्वारा बहस में वांछित रास्ते पर चबूतरा एवं उसके मवेशियों हेतु टीनशेड का बना हुआ अवगत करवाते हुए विनति की गई कि यदि उक्त रास्ता घोषित किया जाता है तो उसे अपरिमित क्षति होगी।

मेरे द्वारा बहस उभय पक्षकारान सुनी गई एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, जवाब प्रार्थना पत्र, जवाब सरकार, मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण की आराजी में चाहे गये रास्ते के मध्य में स्थाई निमार्ण है। प्रार्थीगण को वांछित रास्ता दिया जाता है तो अप्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होने की पूर्ण संभावना है। साथ ही प्रार्थी की आराजी तक पहूँचने हेतु माल ग्राम कमोलर के ख.न. 1131, 1132, 1134, की पूर्वी मेर तथा ख.न. 1131, 1132, 1134, 1135, 1136 की पश्चिमी मेर से प्रचलित रास्ता मौजूद है। उक्त तथ्य का अंकन प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। प्रार्थी द्वारा मात्र सुविधा हेतु अन्य रास्ते का मांग की गई है। प्रकरण में प्रार्थी वांछित रास्ते की महति आवश्यकता को सिद्ध करने में असफल रहा। उक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर सव्यय खारिज किया जाता है।

(रामावतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रामावतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Scanned with OKEN Scanner